कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको./ लखनऊः दिनांक 25/31 2016

विस्तार

–:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या 1961/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965/सेक–2–पॉच–16–7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित चिकित्सकों** को परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) के रूप में जन्म तिथि से 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की है तथा सम्बन्धित चिकित्सालय में अपनी सेवा की निरंतरता बनाये रखते हुए कार्यरत रहे हैं, तो उनका सेवा विस्तार उसी दिनांक से माना जाय, तथा उनके वेतन आदि के भुगतान भी उसी के अनुसार किया जाय, **अन्यथा की दशा में जो विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी जिस तिथि से अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें, तब से उन्हें कार्यरत माना जाय, को उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय** में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया गया है।

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो से अधिक न हो। पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र आवष्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय/जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
1.	डा0 प्रेम कुमार गुप्ता–5875	स्व0 वृन्दाबन गुप्ता	01.01.1955	31.12.2014	एम0डी0 मेडिसिन	जिला चिकित्सालय हमीरपुर
2.	डा0 ज्ञान चन्द्र लाल–4714	श्री राम लखन लाल	30.01.1954	31.01.2014	डी0सी0पी0	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय, लखनऊ
3.	डा0 अवधेश चन्द्र–4073	स्व0 राम चन्द्र	14.10.1951	31.10.2011	एम0डी0 मेडिसिन	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय, लखनऊ
4.	डा0 अशोक कुमार दुबे–4503	स्व0 कन्हैयालाल दूबे	26.08.1952	31.08.2012	ई0एन0टी0	जिला चिकित्सालय, झांसी
5.	डा0 प्रमोद कुमार जैन–6834	श्री हुकुम बान्द जैन	01.09.1954	31.08.2014	डी0ओ0एम0एस0	यू0एच0एम0 जिला चिकित्सालय, कानपुर नगर
6.	डा0 राकेश कुमार अग्रवाल–6869	डा0 सत्य नरायन अग्रवाल	10.12.1954	31.12.2014	डी0एम0आर0डी0	यू0एच0एम0 डुरिन चिकित्सालय कानपुर नगर
7.	डा0 नवल किशोर–11717	श्री मुरली घर सिंह	26.01.1955	31.01.2015	डी0ए0	जिला चिकित्सालय, चंदौली
8.	डा0 शंकर दयाल गौतम–6177	स्व0 कुंवर लाल	10.09.1954	30.09.2014	डी0एम0आर0डी0	जिला चिकित्सालय, मऊ

9.–	डा0 देवी चन्द्रा – 5707	स्व0 राम स्वरूप	13.09.1954	30.09.2014	डी0ए0	जिला चिकित्सालय, आगरा
10.	डा0 वसीमुद्दीन जमाली – 6028	श्री एस0 जमाली	15.10.1954	31.10.2014	एम0एस0 (जनरल सर्जरी)	जिला चिकित्सालय, मऊ
11.	डा0 अरूण कुमार राय – 6164	श्री बलराम राय	06.01.1955	31.01.2015	डी0टी0सी0डी0	जिला चिकित्सालय, मऊ
12.	डा0 आलोक रंजन मिश्रा–6868	स्व0 रमेश चन्द्र मिश्र	01.10.1954	30.09.2014	डी0ओ0एम0एस0	जिला चिकित्सालय, फतेहपुर
13.	डा0 राम करन चौधरी–855	श्री राम आधार	01.01.1952	31.12.2011	डी0एम0आर0डी0	डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ
14.	डा0 कमलेश्वर प्रसाद –7082	स्व0 मूलचन्द	08.07.1953	31.07.2013	डी0पी0एम0	मानसिक चिकित्सालय, बरेली

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक

संख्या–प्रशि.प्रको./ 2456-65 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मिशन निदेशक, एन0आर0एम0एम0, लखनऊ।
4– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5– महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नरायन रोड, लखनऊ।
6– संबंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला (पुरूष/महिला) चिकित्सालय, उ0प्र0।
7– संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8– चिकित्सा अनुभाग–2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
9– संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर ले तथा इसकी सूचना उचित माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया जायेगा तो, यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नही है और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10–गार्ड फाइल।

(पूर्णिमा श्रीवास्तव)
अपर निदेशक (प्रशिक्षण)